

**बिहार सरकार,
कृषि विभाग।**

पत्र संख्या— रा०कृ०वि०यो०को०—08/2015—

4582

/कृ०,पटना,दिनांक 8/9/2015

प्रेषक,

प्रभु राम,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत खरीफ 2015 में कार्यक्रमों के लिए कुल 16768.29 लाख रुपये (एक अरब सड़सठ करोड़ अड़सठ लाख उनतीस हजार रुपये) (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/हरित क्रांति उप योजना 13553.69 लाख रुपये एवं राज्य योजना 3214.60 लाख रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत 135.5369 लाख रुपये (एक करोड़ पैंतीस लाख तिरपन हजार छः सौ नब्बे रुपये) एवं राज्य योजना अंतर्गत 32.146 लाख रुपये (बत्तीस लाख चौदह हजार छः सौ रुपये) कुल 167.6829 लाख रुपये (एक करोड़ सड़सठ लाख अड़सठ हजार दो सौ नब्बे रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश — स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत खरीफ 2015 में कार्यक्रमों के लिए कुल 16768.29 लाख रुपये (एक अरब सड़सठ करोड़ अड़सठ लाख उनतीस हजार रुपये) (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/हरित क्रांति उप योजना 13553.69 लाख रुपये एवं राज्य योजना 3214.60 लाख रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत 135.5369 लाख रुपये (एक करोड़ पैंतीस लाख तिरपन हजार छः सौ नब्बे रुपये) एवं राज्य योजना अंतर्गत 32.146 लाख रुपये (बत्तीस लाख चौदह हजार छः सौ रुपये) कुल 167.6829 लाख रुपये (एक करोड़ सड़सठ लाख अड़सठ हजार दो सौ नब्बे रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत खरीफ 2015 में कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है (राशि लाख रुपये में) :-

फसल/योजना मद का नाम	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	इकाई लागत (रुपये प्रति एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)
1. श्री विधि से धान प्रत्यक्षण	147040	2500.00	3676.00
2. कृषि यंत्रों के माध्यम से धान की रोपनी एवं बुआई प्रत्यक्षण			
(i) पैडी ट्रांसप्लान्टर से धान की रोपनी	65800	2000.00	1316.00
(ii) सीड डील/जीरो टिलेज यंत्र से धान की सीधी बुआई	35900	2000.00	718.00
3. धान के सुगन्धित प्रभेदों का प्रत्यक्षण	32000	1500.00	480.00
4. सूखा एवं बाढ़ अवरोधी प्रभेदों का प्रत्यक्षण	93478	1500.00	1402.17

5. मक्का तथा दलहनी (मूँग/उड़द/अरहर) फसल का अन्तर्वर्ती खेती	11824	1940.00	229.3856
6. धान के उन्नतशील प्रभेद बीज वितरण (6 किलो प्रति एकड़)	1000000	60.00	600.00
7. संकर धान बीज वितरण (6 किलो प्रति एकड़)	882200	600.00	5293.20
8. गैर पारंपरिक क्षेत्रों में अनुदानित दर पर बीज वितरण कार्यक्रम			
(i) संकर मक्का (8 किलो प्रति एकड़)	128000	800.00	1024.00
(ii) अरहर (8 किलो प्रति एकड़)	10000	720.00	72.00
(iii) मरुआ (4 किलो प्रति एकड़)	10000	200.00	20.00
(iv) संकर बाजरा (2 किलो प्रति एकड़)	10000	200.00	20.00
9. रोपनहारों का प्रशिक्षण (संख्या में)	106800	400 रु०/प्रशिक्षु	427.20
10. फ्लेक्सी बोर्ड, फसल कटनी, वैज्ञानिक भ्रमण एवं प्रचार सामग्री	386042	320.00	1235.3344
11. खरीफ 2015 में बीज उत्पादन कार्यक्रम			255.00
कुल			16768.29

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण अनुसूची-1 संलग्न है।

3. उपरोक्त योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

- **श्री विधि से धान प्रत्यक्षण** - धान की श्री विधि पद्धति को अपनाकर धान की उत्पादकता में दोगुनी से तिगुनी वृद्धि की गयी है। खरीफ वर्ष 2011 में 1.76 लाख एकड़ में, वर्ष 2012 में 3.5 लाख एकड़, वर्ष 2013 में 4.60 लाख एकड़ तथा वर्ष 2014 में 5.00 लाख एकड़ में श्री विधि का प्रत्यक्षण आयोजित किया गया था। खरीफ वर्ष 2015 में 1.75 लाख एकड़ में श्री विधि का प्रत्यक्षण किया जायेगा जिसमें 147040 प्रत्यक्षण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं उप योजना हरित क्रांति योजना से किया जायेगा। कार्यक्रम का संचालन कृषि विभाग तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा। श्री विधि प्रत्यक्षण में किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक प्रत्यक्षण हेतु फ्लेक्सी बोर्ड, फसल कटनी, वैज्ञानिकों के भ्रमण एवं प्रचार सामग्री हेतु 320.00 रुपये का प्रावधान किया गया है। रोपनी करने वाले किसानों खासकर महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक अभियान चलाया जायेगा। जिसमें 200 किसानों को प्रत्येक प्रखंड में प्रशिक्षित किया जायेगा।
- **कृषि यंत्रों के माध्यम से धान की रोपनी एवं बुआई प्रत्यक्षण** - धान की रोपनी/बुआई कार्य हेतु नवीनतम कृषि यंत्रों को विकसित किया गया है। इन यंत्रों के उपयोग से कम समय में अधिक क्षेत्रों में रोपनी/बुआई का कार्य सम्पन्न कराया जा सकता है साथ ही समय की बचत एवं लागत मूल्य में कमी हो जाती है। कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत पैडी ट्रांसप्लान्टर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील एवं जीरो टिलेज मशीन का क्रय कृषकों द्वारा किया गया है। इस योजना अंतर्गत यंत्रों के भाड़े का भुगतान कृषकों को किया जायेगा।
(क) पैडी ट्रांसप्लान्टर से धान की बुआई - पारम्परिक तरीके से धान की खेती करने में केवल कदवा एवं बिचड़ों की रोपनी में कुल खर्च का एवं सिंचाई का करीब 1/3 भाग खर्च हो जाता है जिससे खेती की लागत में बढ़ोत्तरी एवं लाभांश में कमी होती है। इस परिस्थिति से निबटने के लिए कम जमीन में "राईस मैट नर्सरी" उगाकर 15-18 दिनों के बिचड़ों को पैडी ट्रांसप्लान्टर से खेतों में नमी बरकरार होने की स्थिति में रोपाई की जाती है। इस विधि में जमीन का समतलीकरण होना आवश्यक होता है।
(ख) सीड ड्रील/जीरो टिलेज यंत्र से धान की सीधी बुआई - जून के प्रथम सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक इन कृषि यंत्रों से धान की सीधी बुआई वर्षा प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व किया जाता है। जहाँ जल जमाव होता है वहाँ जमाव से एक महीना पहले बुआई करना श्रेयस्कर होता है। सीधी बुआई श्रमाभाव एवं सिंचाई जल के अभाव की स्थिति में अधिक उत्पादन हेतु एक प्रभावकारी विकल्प है। इस विधि में खरपतवारनाशी का समुचित प्रयोग आवश्यक होता है।
- **धान के सुगन्धित प्रभेदों का प्रत्यक्षण** - कृषि रोड मैप 2012-17 में सुगन्धित धान प्रत्यक्षण का 62500 एकड़ लक्ष्य निर्धारित है। इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में 32000 एकड़ में इस प्रत्यक्षण को

कार्यान्वित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इन प्रभेदों का बाजार मूल्य अधिक रहने के कारण कृषकों को इसकी खेती से अधिक लाभ मिलेगा।

- **सूखा एवं बाढ़ अवरोधी प्रभेदों का प्रत्यक्षण** – सामान्यतः उत्तरी बिहार के धान आच्छादित क्षेत्रों में बाढ़ के कारण जबकि दक्षिण बिहार के जिलों में सूखा के कारण धान फसल की उत्पादकता प्रभावित होती है। इससे निबटने के लिए सहभागी एवं स्वर्णा सब-1 प्रभेदों की खेती क्रमशः सूखा एवं जल जमाव (40-50 सेंटी मीटर जल जमाव) क्षेत्रों में किया जाना है।
- **मक्का तथा दलहनी (मूँग/उड़द/अरहर) फसल का अन्तर्वर्त्ती खेती** – अन्तर्वर्त्तीय खेती सघन खेती का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ लगाया जाता है। अन्तर्वर्त्तीय फसलों में एक खास दूरी रखते हैं। इस विधि में दो फसलों को अलग-अलग पंक्तियों में लगाते हैं। मक्का के साथ मूँग/उड़द/अरहर के खेती से दलहन का अतिरिक्त उपज प्राप्त होता है क्योंकि शाकाहारी भोजन में प्रोटीन एक मुख्य सस्ता श्रोत है तथा विगत वर्षों में दलहन उत्पादन एवं उत्पादकता स्थिर रही है, जिससे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दलहन का उपलब्धता कम हो रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि दलहन का रकवा एवं उत्पादकता में वृद्धि लायी जाय। रबी मक्का बिहार में काफी अधिक रकवा में लगायी जा रही है। यदि मक्का के साथ दलहनी फसलें खासकर मूँग/उड़द/अरहर को अन्तर्वर्त्ती फसल के रूप में लिया जाय तो इसके अतिरिक्त दलहन का उपज प्राप्त होगा तथा भूमि की उर्वरता भी बढ़ेगी जिससे किसानों के आर्थिक हालत में सुधार होगा। ऐसे कुछ क्षेत्रों में मक्का के साथ मूँग/उड़द/अरहर की अन्तर्वर्त्ती खेती कर फसल प्रणाली में बदलाव कर कुछ नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूर्व में भी अन्तर्वर्त्ती फसलों का प्रत्यक्षण किया गया था। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं तथा अन्तर्वर्त्ती फसलों को लगाने की प्रवृत्ति किसानों में बढ़ी है। इन क्षेत्रों में आगे भी इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्षण हेतु भौतिक लक्ष्य 11824 एकड़ एवं वित्तीय लक्ष्य 229.3856 लाख रु० रखा गया है।
- **बीज वितरण** – इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक उपजशील धान प्रभेद, संकर धान, संकर मक्का, अरहर, मडुआ एवं संकर बाजरा का बीज अनुदानित दर पर वितरण किया जायेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत अधिक उपजशील धान प्रभेद का 60000 क्वी० बीज अनुदानित दर पर 10 लाख एकड़ के लिए वितरण किया जायेगा। संकर धान प्रभेद की उत्पादकता सामान्य धान से 20-25 प्रतिशत अधिक है। इन प्रभेदों के पकने की अवधि सामान्यतः कम है जो धान-गेहूँ फसल चक्र के लिए अनुकूल है। संकर धान का 52932 क्वी० बीज अनुदानित दर पर 882200 एकड़ के लिए वितरण किया जायेगा। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप नई चुनौतियों से सामना करने हेतु चार फसलों मक्का, अरहर, मडुआ एवं बाजरा को चुने हुए जिलों के फसल चक्र में शामिल किया गया है। योजना में सिंचाई की आवश्यकता धान की तुलना में कम है एवं अनियमित मॉनसून के कारण सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना करने के कारण एक श्रेष्ठ विकल्प के रूप में लिया गया है। योजना कार्यान्वयन के फलस्वरूप किसान भविष्य की चुनौतियों के प्रति तैयार होंगे। वर्ष 2015-16 में 1.28 लाख एकड़ में संकर मक्का के लिए 10240 क्वी०, 10 हजार एकड़ में अरहर के लिए 800 क्वी०, 10 हजार एकड़ में मडुआ के लिए 400 क्वी० एवं 10 हजार एकड़ में संकर बाजरा के लिए 200 क्वी० बीज का वितरण किया जायेगा। धान के उन्नतशील प्रभेद बीज में 10 रुपये प्रति किलो, संकर धान बीज में 100 रुपये प्रति किलो, संकर मक्का बीज में 100 रुपये प्रति किलो, अरहर बीज में 90 रुपये प्रति किलो, मरुआ बीज में 50 रुपये प्रति किलो एवं संकर बाजरा बीज में 100 रुपये प्रति किलो अनुदान दिया जायेगा।
- **रोपनहारों का प्रशिक्षण** – श्री विधि से धान की रोपनी के लिए कृषि मजदूरों को प्रशिक्षित किया जायेगा। वर्ष 2015-16 में प्रत्येक प्रखंड से 200 रोपनहारों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। दो दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री विधि से धान की खेती में नर्सरी निर्माण, शुद्ध बीज की छँटाई, बीज उपचार एवं बिचड़ा तैयार करने की विधि के साथ सही दूरी पर एक-एक बिचड़े की रोपाई करने का व्यवहारिक ज्ञान दिया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि समन्वयक एवं पूर्व प्रशिक्षित कृषकों को प्रशिक्षक के रूप में शामिल किया जायेगा।
- **फ्लेक्सी बोर्ड, फसल कटनी, वैज्ञानिक भ्रमण एवं प्रचार सामग्री** – प्रत्येक प्रत्यक्षण के लिए फ्लेक्सी बोर्ड, वैज्ञानिक भ्रमण प्रचार-प्रसार सामग्री एवं फसल कटनी जाँच हेतु 320 रु० प्रति एकड़ राशि का प्रावधान किया गया है जिसके फलस्वरूप तकनीकी हस्तक्षेप के फलाफल के संबंध में सूचना प्राप्त हो सकेगा।

- **खरीफ 2015 में बीज उत्पादन कार्यक्रम** – सरकारी बीज उत्पादक कम्पनी एन०एस०सी०/राज्य बीज निगम एवं राज्य सरकार से अधिकृत निजी बीज कम्पनियों को 10 वर्ष से कम पुराने धान बीज प्रभेदों के उत्पादन हेतु सहायता मुहैया कराया जायेगा। अधिक उपजशील प्रभेद हेतु 1000/- प्रति किंवटल एवं संकर प्रभेद हेतु 5000/- प्रति किंवटल सहायता करने का प्रावधान है। उक्त राशि का 75% राशि बीज उत्पादक किसानों एवं 25% राशि बीज उत्पादक एजेंसी को सहायता अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

4. भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फंडिंग पैटर्न में परिवर्तन किया गया है। भारत सरकार से केन्द्रांश मद में 50 प्रतिशत राशि प्राप्त होगा एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। केन्द्रांश मद की राशि मुख्य निर्माण कार्य मद में उपबंधित है। भारत सरकार के गाईडलाइन के अनुसार अधिकतम 56.25 प्रतिशत राशि गैर आधारभूत संरचना मद में ली जा सकती है। तदनुसार उपयुक्त बजट यूनिट में उपबंध के अनुसार केन्द्रांश की राशि का व्यय किया जा सकेगा। राज्यांश मद से प्रत्यक्ष एवं बीज वितरण आदि की योजना ली गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश मद में प्राप्त राशि से मुख्य निर्माण कार्य मद की स्वीकृति हेतु अलग से कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

5. उक्त योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप के लिए निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

6. वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार के पत्रांक 7-1/2015-आर.के.वी.वाई. दिनांक 15.04.2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) में केन्द्रांश के रूप में 146.90 करोड़ रु० अंतरिम उद्व्य एवं भारत सरकार के पत्रांक सी०पी०एस० 6-1/2015-एन.एफ.एस.एम. दिनांक 21.04.2015 द्वारा हरित क्रांति उप योजना में केन्द्रांश 75.50 करोड़ रु० एवं राज्यांश 75.50 करोड़ रु० कुल 151.00 करोड़ रु० उद्व्य कर्णांकित किया गया है। उक्त उद्व्य के आलोक में भारत सरकार के पत्रांक 1-4/2015-आर.के.वी.वाई. दिनांक 14.08.2015 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रांश मद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सामान्य में 73.45 करोड़ रु० एवं हरित क्रांति उप योजना में 37.75 करोड़ रु० राशि विमुक्त किया गया है।

7. (i) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि 135.5369 लाख रुपये (एक करोड़ पैंतीस लाख तिरपन हजार छः सौ नब्बै रुपये) की निकासी मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0331-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड-P2401007960331 विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा में उपबंधित राशि 1317.14 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

(ii) राज्य योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि 32.146 लाख रुपये (बत्तीस लाख चौदह हजार छः सौ रुपये) की निकासी मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0140-बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड-P2401007960140, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5015, विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी में उपबंधित राशि 65.73 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्त प्रवाह बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना के माध्यम से किया जायेगा। स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर की जायेगी। बामेति से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बामेति द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। बामेति द्वारा खरीफ 2015 में बीज उत्पादन कार्यक्रम की राशि बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना को एवं शेष सभी योजनाओं की राशि कृषि निदेशक के परामर्श के अनुसार संबंधित जिला के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अंभिकरण (आत्मा)/कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध करायी जायेगी। खरीफ 2015 में बीज उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्पादन प्रमुख, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना एवं शेष सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। बामेति/आत्मा/जिला कृषि पदाधिकारी/उत्पादन प्रमुख, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए अलग से बैंक खाता एवं लेखा का संधारण किया जायेगा। महालेखाकार बिहार को अंकक्षण का अधिकार होगा।

9. उक्त योजना से लाभान्वित कृषकों, जिनका बैंक में खाता खुल चुका है, को अनुदान की राशि/लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) Programme के तहत सीधे बैंक खाता में अंतरित किया जायेगा। जिन कृषकों का अभी तक बैंक में खाता नहीं खुला है, उनका बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। इन कृषकों का बैंक खाता खुल जाने के उपरान्त इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

10. उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले कृषकों की सूची एवं चयनित स्थल की जानकारी सभी पंचायत प्रतिनिधियों को हस्तगत कराया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत आयोजित होने वाले मेला/कैम्प में पंचायत प्रतिनिधियों को अवश्य आमंत्रित किया जायेगा।

11. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त योजना में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 23.06.2015 को आयोजित बैठक में कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है।

12. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 25.08.2015 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या-रा०कृ०वि०यो०को०-08/2015 के पृ०सं०-26/टि० पर प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-रा०कृ०वि०यो०को०-08/2015 के पृ०सं०-30/टि० पर दिनांक-03-09-2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(प्रभु राम)
अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 4582

/कृ०, पटना दिनांक 81/9/2015

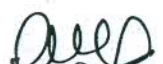
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4582

/कृ०, पटना, दिनांक 81/9/2015

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4582

/कृ०, पटना, दिनांक 81/9/2015

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4582

/कृ०, पटना, दिनांक 81/9/2015

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) योजना, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना कोषांग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उत्पादन प्रमुख, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना/अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्प) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4582

/कृ०,

पटना, दिनांक 8/9/2015

प्रतिलिपि : अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली-110011/सलाहकार (कृषि), नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001/डा० बी० बी० पान्डा, वरीय वैज्ञानिक (एग्रेनॉमी), फसल उत्पादन डिवीजन, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), कटक (उड़ीसा) 753006 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची-1

खरीफ - 2015

Sl. No	Name of Schemes	Physical (In Acre)			Unit Cost/Acre (in Rs.)	Seed Requirement (Qtl.)	Financial (Rs. - in Lakh)					Remarks
		RKVY	BGREI	Total			RKVY			BGREI	Grand Total	
		3	4	5	6	7	RKVY State Share	State Plan	Total	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Demonstrations											
1	SRI Demonstration	91280	55760	147040	2500.00	2940.80	2282.00		2282.00	1394.00	3676.00	
2	Mechanized Transplanting/sowing Demonstration											
i	Transplantation by Paddy Transplanter	25195	40605	65800	2000.00	6580	503.90		503.90	812.10	1316.00	
ii	Direct Seeded Rice (DSR) with Seed Drill Machine/Zero Tillage Machine		35900	35900	2000.00	5385				718.00	718.00	
3	Aromatic Rice Demonstration	32000		32000	1500.00	1920	480.00		480.00		480.00	
4	Stress Tolerant Variety Demonstration	35494	57984	93478	1500.00	5608.68	532.410		532.410	869.76	1402.17	
5	Inter Cropping of Maize & Mung/Urad/Arhar	11824		11824	1940.00		229.3856		229.3856		229.3856	
	Total Demonstrations	195793	190249	386042			4027.6956		4027.6956	3793.86	7821.5556	
B	Seed Distribution											
6	High Yielding Variety Rice @ 6Kg/Acre		1000000	1000000	60.00 (@ Rs. 10/Kg.)	60000				600.00	600.00	
7	Hybrid Rice Seed Distribution @ 6Kg/Acre	882200		882200	600.00 (@ Rs. 100/Kg.)	52932	2646.60	2646.60	5293.20		5293.20	
8	Area Expansion/Seed Distribution in non Traditional Areas											
i	Hybrid Maize @ 8 Kg/Acre	128000		128000	800.00 (@ Rs. 100/Kg.)	10240	512.00	512.00	1024.00		1024.00	

Sl. No	Name of Schemes	Physical (In Acre)			Unit Cost/Acre (in Rs.)	Seed Requirement (Qtl.)	Financial (Rs. - in Lakh)					Remarks
		RKVY	BGREI	Total			RKVY			BGREI	Grand Total	
							RKVY State Share	State Plan	Total			
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ii	Arhar @ 8 Kg/Acre	10000		10000	720.00 (@ Rs. 90/Kg.)	800	36.00	36.00	72.00		72.00	
iii	Madua @ 4 Kg/Acre	10000		10000	200.00 (@ Rs. 50/Kg.)	400	10.00	10.00	20.00		20.00	
iv	Hybrid Bajara @ 2 Kg/Acre	10000		10000	200.00 (@ Rs. 100/Kg.)	200	10.00	10.00	20.00		20.00	
	Total Seed Distribution						3214.60	3214.60	6429.20	600.00	7029.20	
C	Training											
9	Transplanter's Training (Two days Training 10-12 days interval) (in No.)	106800		106800	@ Rs.400/Trainee		427.20	-	427.20		427.20	
10	Flexi Board, Crop Cutting, Scientist Visit & Publicity Materials	195793	190249	386042	320.00		626.5376	-	626.5376	608.7968	1235.3344	
D	Seed Production Programme for Kharif 2015							-		255.00	255.00	
	Total						8296.0332	3214.60	11510.6332	5257.6568	16768.29	

Note:- 200 Transplanters will be trained in each block.


 (अनूप सिंह)
 अपर सचिव,
 कृषि विभाग, बिहार, पटना।